

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

// अधिसूचना //

रायपुर दिनांक २९ जून, 2013

क्रमांक एफ 10-05/2013/16 "भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" की धारा 12 एवं 16 (1) "सहपठित " "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त का विनियमन) नियम 2008" के नियम 272 के उप नियम (2) के पूर्व की अधिसूचना क्रमांक एफ-11/2/2012/16, दिनांक 18.07.2012 तथा अधिसूचना क्रमांक एफ 1-11/2012/16, दिनांक 20.07.2012 में निम्नांकित संशोधन करता हैं :-

- (1) नियम 272 के उप नियम (2) में "तीन वर्ष के लिए एक रूपये" के स्थान पर "पांच वर्ष के लिए एक रूपये" प्रतिस्थापित किया जाये।
- (2) "हितग्राही के रूप में रजिस्ट्रीकरण/नवकरण के आवेदन के समय प्रत्येक आवेदक 25 पैसे प्रति माह के मान से 3 वर्ष के लिए (अर्थात् रूपये 3/- एक वर्ष के लिए) रूपये 9/- अभिदाय शुल्क जमा" के स्थान पर,
"हिताधिकारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण/नवकरण के आवेदन के समय प्रत्येक आवेदक 15 पैसे प्रतिमाह के मान से 5 वर्ष के लिए (अर्थात् रूपये 1.80/- एक वर्ष के लिए) रूपये 9/- अभिदाय शुल्क जमा करेगा।"

उपरोक्त अधिसूचना अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी.आर. मालवीय)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

रायपुर दिनांक २९ जून, 2013

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 10-05/2013/16

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)।

4. श्रमयुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय रायपुर (छ.ग.)।
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर।
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)।
7. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)।
8. श्रमायुक्त, कार्यालय के उप श्रमायुक्त, रायपुर (छ.ग.)।
9. सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी(छ.ग.)।
10. उप संचालक / सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा.....(छ.ग.)।
11. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्राणालय, राजनांदगाव की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।



उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग